प्रेस को जानकारी टिप्पण (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 89 / 2020)

तत्काल जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम

नई दिल्ली, 09 नवम्बर, 2020: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से दिनांक 05 और 06 नवम्बर, 2020 को ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम आयोजित किया।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और उपभोक्ता जागरूकता पैदा करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण देश के विभिन्न भागों में उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रमों का आयोजन करता है। कोरोना वायरस महामारी की वर्तमान स्थिति में, ऑनलाइन मंच के माध्यम से इस तरह के कार्यक्रमों का संचालन करने का निर्णय लिया गया था, जहां उपभोक्ता अपने घर, दुकान अथवा कार्यालय में बैठे कर शामिल हो सकते हैं। इस क्रम में कोलकाता, हैदराबाद और जयपुर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय (दिनांक 05 नवम्बर, 2020)

3. यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर एलएसए के उपभोक्ताओं के लिए दिनांक 05 नवंबर, 2020 को अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों के लिए आयोजित किया गया था। उपभोक्ता समर्थक समूह (सीएजी) के प्रतिनिधि, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों, विभिन्न महाविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों और राज्य सरकार के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय (दिनांक 06 नवम्बर, 2020)

4. यह कार्यक्रम तमिलनाडु राज्य के उपभोक्ताओं के लिए आयोजित किया गया था। इसमें तमिलनाडु के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में स्थानीय उपभोक्ता मंचों, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत उपभोक्ता समर्थक समूहों (सीएजी) के प्रतिनिधियों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों, सरकारी और निजी संगठनों के अधिकारियों, किसानों, संपूर्ण तमिलनाडु के विभिन्न इंजीनियरिंग और प्रबंधन महाविद्यालयों के छात्रों और राज्य के दूरसंचार उपभोक्ताओं ने भाग लिया।

5. सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के बारे में शिक्षित करके समाज के विभिन्न वर्गों को सशक्त बनाने के लिए, कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए एक सत्र सम्मिलित किया गया था। इस कार्यक्रम में किसानों के लाभ के लिए तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञ डॉ सेंथिल कुमार द्वारा ''दूरसंचार का उपयोग करते हुए कृषि विस्तार में हालिया घटनाक्रम'' पर एक प्रस्तुति दी गई।

जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय (दिनांक 06 नवम्बर, 2020)

6. पंजाब सेवा क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए यह पहुंच कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में पंजाब राज्य के दूरसंचार उपभोक्ताओं के अलावा राज्य के विभिन्न ग्रामों से बड़ी संख्या में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) प्रभारी, उपभोक्ता समर्थक समूहों (सीएजी) के प्रतिनिधि, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधि, विभिन्न उपभोक्ता संघों के सदस्यगण, विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र और शिक्षक, सरकार से अधिकारीगण और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

7. इन दिनों साइबर खतरों के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए, एक सत्र का आयोजन किया गया था जिसमें ''कोविड–19 महामारी के बीच साइबर सुरक्षा'' विषय पर विषय विशेषज्ञ श्री दीपक कुमार, मुख्य प्रबंधक (संकाय), स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद द्वारा एक प्रस्तुति दी गई थी।

4. इन कार्यक्रमों के दौरान, उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाओं के विभिन्न पहलूओं के संबंध में अर्थात् प्रशुल्क, मूल्यवर्धित सेवाओं (वीएएस), अवांछित वाणिज्यिक सम्प्रेषण (यूसीसी), मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी, शिकायत निवारण प्रणाली तथा डाटा सेवाओं आदि के संबंध में प्रदत्त अधिकारों के बारे में शिक्षित किया गया। उपभोक्ताओं को उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए विभिन्न ऐप अर्थात् भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण माई–स्पीड ऐप, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण माई–कॉल ऐप, डीएनडी 2.0 ऐप आदि जैसे विभिन्न मोबाइल एप्स के लाभों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई और उपभोक्ताओं को यह भी जानकारी प्रदान की कि उपभोक्ता इन एप्स और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विश्लेषणात्मक पोर्टल का लाभ कैसे उठा सकते हैं। उपभोक्ताओं को की जा रही अलग– अलग तरह की धोखाधड़ियों के बारे में भी बताया गया जैसे टॉवर लगाने, आईएसडी नम्बर से मिस्ड कॉल आदि से जुड़ी धोखाधड़ी और यह भी जानकारी प्रदान की गई कि इन धोखाधड़ियों से कैसे सावधान रहना चाहिए।

9. उपभोक्ताओं को प्रसारण और केबल टेलीविजन विनियमों में हाल ही में किए गए संशोधन और उपभोक्ताओं को दिए गए लाभ के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। इस संदर्भ में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा चैनल चयनकर्ता ऐप के संबंध में तैयार किया गया एक वीडियो उपभोक्ताओं के लाभ के लिए दिखाया गया ताकि उपभोक्ता अपनी सब्सक्रिप्शन को देख सकें, चैनल जोड़/ हटा सकें और अपनी पसंद का अनुकूलन कर सकें।

10. 'इंटरैक्टिव' सत्रों के दौरान, प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर श्री सौविक कुमार दास, सलाहकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता, श्री ए0 मुनिशेखर, सलाहकार, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद और श्री विनोद गुप्ता, सलाहकार, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा उनके संबंधित कार्यक्रमों में दिए गए।

8. किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, श्री संजीव बैजल, सलाहकार (सीए एंड आईटी), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, से दूरभाष नम्बर 011–23210909 अथवा ई–मेल आईडी : advisorit@ trai.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है।

ह/–
(एस0 के0 गुप्ता)
सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

__अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।__